52

संख्या– 2012/41/IX/2008/टी0सी0

प्रेषक,

**राकेश शर्मा,**
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट,देहरादून।

**परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग** देहरादूनः दिनांक 06 **दिसम्बर, 2012**

**विषय–जनपद पिथौरागढ़ स्थित गर्खा (ओगला) डीडीहाट में हैलीपैड निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 44.68 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्र संख्याः–र–4512/पन्द्रह–रा0स0/2008–09 दिनांक 01 अगस्त, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिथौरागढ़ स्थित गर्खा (ओगला) डीडीहाट में हैलीपैड निर्माण हेतु वर्ष 2008 में शासन के पत्र सख्या–179/ix/41/2008 दिनांक 27–03–2008 द्वारा कुल रू0 105.26 लाख के आगणन के सापेक्ष रू0 91.54 लाख स्वीकृत किये गये थे।

3– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–र–7877/पन्द्रह–रा0स0/2011–12 दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के साथ संलग्न परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ़ की प्रगति आख्या में उक्त हैलीपैड एवं पहुंच मार्ग के अवशेष कार्य धनाभाव के कारण स्थगित कर दिये गये। अतः अवशेष कार्य हेतु प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन धनराशि रू0 170.43 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित रू0 136.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 91.54 लाख को घटाते हुये शेष धनराशि रू0 44.68 लाख व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्ति करनी आवश्यक होगी।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समक्ष औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुये सम्पदित करना सुनिश्चित किया जाय।

–2–

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(v) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

(vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/xiv–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(vii) आगणन गठित समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– शेष शर्ते शासनादेश संख्या–179/ix/41/2008 दिनांक 27–03–2008 के अनुसार यथावत रहेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन–800–अन्य व्यय–08–हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण–00–आयोजनागत 24– वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या–265/XXVII(2)/2012 दिनांक 30नवम्बर, 2012 में उनके प्राप्त सहमति के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

**संख्या–26 2012/41/IX/2008/टी0सी0, तददिनांकित।**

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– जिलाधिकारी पिथौरागढ़
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।